Rcms 2019/00296

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थीगणः– रामचन्द्र पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

बनाम्

अप्रार्थीगणः– प्रेमाराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...**87** ...सन्–.....**2019**....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
21.08.2019	प्रार्थीगण रामचन्द्र पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रेमाराम पुत्र स्व. पुरखाराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थीगण सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी तारीख पेशी तक, वाकै सरहद बाण्डोलाई की ढाणी के खसरा नम्बर 602 जिसके नये खसरा सं0 56 रकबा 0.1700 हैक्टयर में से 07 बिस्वा अर्थात 0.0600 हैक्टयर की भूमि में नजरी नक्शानुसार मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. में मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक **25.10.2019** को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर) 25/10/19 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O.सा. [illegible] अन्य कार्य। दौरे [illegible] दिनांक 16/12/19 [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/9/22 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. ग्रा. अवकाश, अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, मिसल दिनांक 18/11/22 को पेश हो। 18/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण के सम्मन तलबाना पेश करे। पेश नहीं करने की स्थिति मे O 9 R 5 CPC के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/1/23 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर) 18/1/23 वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है। आदेश के अतः न्यायालय में पत्रावली O9 R05 अन्तर्गत CPC के तहत खारिज की जाती है। फैसला इश्तहार हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner